SIX SIGMA IAS

Dream | Dare | Deliver

DREAM FOR NATION | **DARE** TO SERVE | **DELIVER** WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS

HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 11, 2026

Comprehensive Coverage | Exam-Focused Analysis | Concept Clarity & Insights | Practice MCQs with Explanation | Daily Updates, Better Results

CONTACT INFO:
+91 92896 33341 | +91 96679 33341

EMAIL ID:
info@sixsigmaias.com

WEB PAGE:
www.sixsigmaias.com

ADDRESS:
C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. आरबीआई के संशोधित ऋण वसूली दिशानिर्देश और उचित आचरण ढांचा (RBI's Revised Loan Recovery Guidelines and Fair Conduct Framework) 3

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026: खनन पर राज्य के करों/लेवी को सीमित करना (MMDR Amendment Bill, 2026: Restricting State Levies on Mining) 4

3. बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026: डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता (Bankers' Books Evidence Bill, 2026: Recognizing Digital Records) 6

4. कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026: मुख्य प्रावधान (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026: Key Provisions) 7

5. राज्य गीत के अनिवार्य गायन पर तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव (Tamil Nadu Assembly Resolution on Mandatory Rendering of State Song) 9

6. मेघालय ADCs: गारो हिल्स चुनावों में मताधिकार प्रतिबंध (Meghalaya ADCs: Franchise Restrictions in Garo Hills Elections) 10

7. भारत में ईवी चार्जिंग अवसंरचना: कर्नाटक का नेतृत्व (EV Charging Infrastructure in India: Karnataka's Leadership) 11

8. आधुनिक भारत में अंग्रेजी की स्थिति: औपनिवेशिक माध्यम से भारतीय भाषा तक (Status of English in Modern India: From Colonial Medium to Indian Language) 13

9. आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और उपयोगिता (Relevance & Utility of International Law in Modern Global Order) 15

10. भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 के डिराक मेडल से सम्मानित किया गया (Physicist Deepak Dhar Awarded 2026 Dirac Medal) 16

11. भारत में हथकरघा क्षेत्र: आर्थिक विरासत, चुनौतियां और रणनीतिक भविष्य (Handloom Sector in India: Economic Legacy, Challenges, and Strategic Future) 18

12. एआई-जनरेटेड उपग्रह इमेजरी पर सुरक्षा चिंताएं (Safety Concerns Over AI-Generated Satellite Imagery) 19

13. भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी: UNOG जेनेवा को मोर दान में देना (India's Soft Diplomacy: Donation of Peacocks to UNOG Geneva) 21

AUGUST 11, 2026

1. **आरबीआई के संशोधित ऋण वसूली दिशानिर्देश और उचित आचरण ढांचा** (RBI's Revised Loan Recovery Guidelines and Fair Conduct Framework)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **मानकीकृत पर्यवेक्षण (Standardized Oversight):** जनवरी 2027 से प्रभावी, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वसूली एजेंसियों पर नज़र रखने और जबरन ऋण वसूली प्रथाओं को रोकने के लिए विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities - REs) के लिए कड़े पर्यवेक्षण तंत्र अनिवार्य किए हैं।
- **अनिवार्य प्रमाणन (Mandatory Certification):** ऋण वसूली एजेंटों के पास नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य पृष्ठभूमि सत्यापन के साथ-साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) से ऋण-वसूली प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- **उत्पीड़न तकनीकों पर प्रतिबंध (Prohibited Harassment Tactics):** अभद्र भाषा का प्रयोग, अत्यधिक कॉल/संदेश, डराना-धमकाना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत या वित्तीय विवरणों को बिना अनुमति के पोस्ट करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
- **पुनर्कब्जा नीति और मुआवजा (Repossession Policy & Compensation):** ऋणदाताओं को ज़मानती संपत्ति (collateral) के पुनर्कब्जा के लिए औपचारिक नीतियां स्थापित करनी होंगी, जिसमें एजेंटों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर उधारकर्ताओं के लिए मुआवजे के प्रावधान शामिल हैं।
- **आचरण मानदंडों का सामंजस्य (Harmonization of Conduct Norms):** नवंबर 2025 के उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण (Responsible Business Conduct) ढांचे में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य सभी बैंकिंग संस्थानों में एजेंटों की नियुक्ति से जुड़े प्रोटोकॉल का सामंजस्य स्थापित करना है।
- **कार्यान्वयन में विलंब (Delayed Implementation):** वित्तीय संस्थानों को पर्याप्त परिचालन संक्रमण समय देने के लिए अनुपालन की समय सीमा को जनवरी 2027 (तीन महीने का विस्तार) तक बढ़ा दिया गया।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **वसूली एजेंट (Recovery Agent):** एक व्यक्ति या तृतीय-पक्ष एजेंसी जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा चूककर्ता (defaulting) उधारकर्ताओं से बकाया राशि एकत्र करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- **विनियोजित/विनियमित संस्थाएं (Regulated Entities - REs):** वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी (NBFCs), और सहकारी बैंक जो आरबीआई के नियामक पर्यवेक्षण के तहत काम करते हैं।
- **पुनर्कब्जा (Repossession):** वह कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत लेनदार (creditor) बकाया ऋण को चुकाने के लिए चूककर्ता उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई ज़मानती संपत्ति (collateral) को अपने कब्जे में लेता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** वसूली की कार्यवाही के दौरान व्यक्तियों को उत्पीड़न, डराने-धमकाने और निजता के हनन से बचाता है।

- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 35A):** जनहित में और जमाकर्ताओं या उधारकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल प्रथाओं को रोकने के लिए बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की नियामक शक्ति आरबीआई को प्रदान करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45JA):** क्रेडिट प्रणाली के नियमों और निष्पक्ष प्रथाओं के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को निर्देश जारी करने के लिए आरबीआई को अधिकृत करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** अनुचित व्यापार प्रथाओं और वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमियों के खिलाफ उधारकर्ताओं की रक्षा करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

आरबीआई के अद्यतन दिशानिर्देश ऋण वसूली में संस्थागत जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। जबरन वसूली की प्रथाओं को दंडित करके, अनिवार्य IIBF प्रमाणन लागू करके और उधारकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा तंत्र शुरू करके, नियामक ऋण अनुशासन के साथ उपभोक्ता की गरिमा को संतुलित करता है। इसका सफल कार्यान्वयन ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले कड़े आंतरिक अनुपालन ऑडिट पर निर्भर करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** शासन (Governance), वैधानिक निकाय (RBI), नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण तंत्र।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) प्रबंधन और वित्तीय समावेशन।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र):** नैतिक व्यावसायिक आचरण, वाणिज्यिक कार्यों में मानवाधिकार और कॉर्पोरेट जवाबदेही।

2. **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक**, 2026: **खनन पर राज्य के करों/लेवी को सीमित करना** (MMDR Amendment Bill, 2026: Restricting State Levies on Mining)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **विधायी संशोधन (Legislative Amendment):** केंद्र सरकार ने 1957 के MMDR अधिनियम में धारा 9D को जोड़ने के लिए लोकसभा में 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया।
- **राज्य के करों/लेवी पर रोक (Bar on State Levies):** केंद्रीय दिशानिर्देशों के अलावा, खनिजों की मात्रा, मूल्य या रॉयल्टी के आधार पर खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर स्वतंत्र कर, उपकर (cess), या लेवी लगाने से राज्य सरकारों को रोकता है।

- **न्यायिक मिसाल को निष्प्रभावी करना (Overriding Judicial Precedent):** यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के माडा (MADA) निर्णय के प्रभाव को संबोधित करने का प्रयास करता है, जिसने पहले खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की संवैधानिक शक्ति की पुष्टि की थी।
- **अतीत के राजस्व का संरक्षण (Protection of Past Revenues):** यह स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि संशोधन से पहले ही एकत्र किए गए किसी भी राज्य कर या लेवी को वापस नहीं किया जाएगा, जिससे राज्यों के वित्त को पूर्वव्यापी (retroactive) धन वापसी दावों से बचाया जा सके।
- **राजकोषीय बोझ में कमी (Easing Fiscal Burden):** इसका उद्देश्य दोहरे कराधान और असंगत राज्य करों को समाप्त करना है, जिससे अनुपालन लागत कम होगी और खनन क्षेत्र में निवेश के लिए व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार होगा।
- **केंद्रीयकृत विनियमन (Centralized Regulation):** राज्यों में आर्थिक पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खनिज-युक्त भूमि को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे पर केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ाता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **रॉयल्टी (Royalty):** खनिजों के निष्कर्षण और निकासी के लिए एक खदान पट्टेदार (lessee) द्वारा संसाधन स्वामी को भुगतान किया जाने वाला एक संविदात्मक शुल्क, जिसे कानूनी रूप से कर से अलग माना जाता है।
- **उपकर (Cess):** किसी विशिष्ट, लक्षित सार्वजनिक उद्देश्य या विकास गतिविधि के लिए सरकार द्वारा लगाया गया एक समर्पित कर।
- **खनिज अधिकार (Mineral Rights):** भूमि के एक निर्दिष्ट क्षेत्र से उप-सतह खनिजों की खोज, निष्कर्षण और दोहन करने का कानूनी अधिकार।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **सातवीं अनुसूची (सूची I प्रविष्टि 54 और सूची II प्रविष्टि 23):** खानों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति (सूची II, प्रविष्टि 23), संघ के अधिकार क्षेत्र के तहत खानों के नियमन और विकास पर संसद की घोषणा (सूची I, प्रविष्टि 54) के अधीन है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II प्रविष्टि 50):** खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन, राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है।
- **MMDR अधिनियम, 1957 (प्रस्तावित धारा 9D):** जब तक केंद्रीय नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो, खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्तियों को प्रतिबंधित करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के माडा (MADA) फैसले का संदर्भ:** *मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेइल (SAIL)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि रॉयल्टी कर नहीं है और सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत राज्य की विधायी क्षमता को बरकरार रखा था।

निष्कर्ष (Conclusion)

MMDR संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी एकरूपता बनाए रखने के लिए खनन कराधान पर केंद्रीय नियंत्रण को फिर से स्थापित करना है। यद्यपि यह व्यापक करों (cascading taxes) और निवेश अनिश्चितता के संबंध में उद्योग की चिंताओं को संबोधित करता है, लेकिन यह खनिज समृद्ध राज्यों की राजस्व स्वायत्तता को सीमित करके राजकोषीय संघवाद के संतुलन को बदलता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** संघात्मक ढांचा और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, विधायी क्षमता (सातवीं अनुसूची), वैधानिक नियामक ढांचे।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, खनिज क्षेत्र में सुधार, कारोबार सुगमता (ease of doing business), निवेश मॉडल और राजकोषीय नीति।

3. बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026: डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता (Bankers' Books Evidence Bill, 2026: Recognizing Digital Records)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **संसदीय स्वीकृति (Parliamentary Approval):** 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा ने बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026 को पारित कर दिया।
- **औपनिवेशिक कानून का निरसन (Repeal of Colonial Legislation):** यह कानून 135 साल पुराने 'बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891' का स्थान लेता है, जिससे कानूनी ढांचा कागज-आधारित बैंकिंग से डिजिटल-प्रथम प्रणालियों में परिवर्तित होता है।
- **डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (Admissibility of Digital Records):** अदालत की कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक लॉग, डिजिटल बही-खाता प्रविष्टियों और कंप्यूटर प्रिंटआउट को प्राथमिक स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से कानूनी मान्यता दी गई है।
- **न्यायिक साक्ष्यों का आधुनिकीकरण (Modernization of Judicial Evidence):** न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मुकदमों में भौतिक बही-खाते या मूल कागजी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की पारंपरिक आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **वित्तीय मुकदमों में दक्षता (Efficiency in Financial Litigation):** कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, बैंकिंग मुकदमों में प्रक्रियात्मक देरी को कम करता है, और साक्ष्य कानूनों को समकालीन डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना के साथ संरेखित करता है।
- **डेटा अखंडता मानदंड (Data Integrity Norms):** छेड़छाड़ को रोकने और साक्ष्य की वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल लॉग और सिस्टम-जनरेटेड रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए रूपरेखा मानदंड स्थापित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **बैंकर्स पुस्तकें (Bankers' Books):** व्यवसाय के सामान्य क्रम में वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए रखे गए आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड, बही-खाते, दैनिक-पुस्तकें, खाता-पुस्तकें और इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉग।
- **स्वीकार्य साक्ष्य (Admissible Evidence):** कोई भी गवाही, दस्तावेज या मूर्त रिकॉर्ड जिसे एक अदालत किसी विवादित तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए पेश करने की अनुमति देती है।

- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (Electronic Record):** इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रो-फिल्म में उत्पन्न, संग्रहीत, प्राप्त या भेजे गए डेटा, रिकॉर्ड, छवि या ध्वनि।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA):** न्यायिक कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सहित प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य की सामान्य स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 65B ढांचा संदर्भ):** भारतीय नियामक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए कानूनी मान्यता स्थापित करता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग संस्थानों के लिए नियामक अनुपालन और रिकॉर्ड-कीपिंग जनादेश को अधिकृत करता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I प्रविष्टि 45):** संसद को बैंकिंग से संबंधित मामलों पर अनन्य विधायी क्षमता प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य विधेयक, 2026 भारत के कानूनी ढांचे के एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। औपनिवेशिक युग के प्रावधानों को आधुनिक डिजिटल मानकों से बदलकर, यह कानून साक्ष्य की स्वीकार्यता को प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय प्रणालियों के साथ संरेखित करता है, जिससे कानूनी विवादों के समाधान में तेजी आती है और संस्थागत परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** वैधानिक ढांचे, संसदीय विधान प्रक्रिया, न्यायिक सुधार और शासन संबंधी पहल।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण और वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) विनियमन।

4. **कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक**, 2026: **मुख्य प्रावधान** (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026: Key Provisions)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **संसदीय स्वीकृति (Parliamentary Approval):** वैश्विक पूंजी को प्रोत्साहित करने और डिजिटल मानदंडों को आसान बनाने के लिए जून 2026 के अध्यादेश का स्थान लेते हुए संसद ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया।
- **शून्य-शुल्क UPI की निरंतरता (Continuity of Zero-Charge UPI):** वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि आम खुदरा उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई (UPI) लेनदेन पूरी तरह से मुफ़्त रहेंगे, जिससे लेनदेन शुल्कों पर जनता की चिंताएं दूर हो गईं।
- **शून्य-MDR ढांचे का संशोधन (Modification of Zero-MDR Framework):** भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 को आयकर अधिनियम से अलग करता है, जिससे केंद्र को वैधानिक कर

कानून संशोधनों के बिना मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के लिए लचीले नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार मिलता है।

- **FPIs के लिए कर छूट (Tax Exemptions for FPIs):** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से अर्जित ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर वैधानिक छूट प्रदान की गई है।
- **ऑनशोर फंड प्रबंधन सुधार (Onshore Fund Management Reforms):** न्यूनतम निवेशक सीमाओं और व्यक्तिगत सीमा प्रतिबंधों को हटाकर भारतीय-प्रबंधित पात्र निवेश कोषों (Eligible Investment Funds - EIFs) के लिए पात्रता मानदंडों में काफी ढील दी गई है।
- **विदेशी अवसंरचना के लिए आसानी (Ease for Foreign Infrastructure):** भारतीय डेटा केंद्रों के माध्यम से काम करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए कर निश्चितता और अधिसूचित हीरा व्यापार क्षेत्रों में काम करने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए कर छूट प्रदान करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR):** डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान प्रसंस्करण बैंकों और सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी व्यापारी (merchant) से वसूला जाने वाला प्रतिशत शुल्क।
- **सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs):** केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य ऋण साधन, जो सरकारी ऋण दायित्वों को स्वीकार करते हैं।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI):** गैर-निवासियों द्वारा भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में किया गया निवेश।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (धारा 10A संशोधन):** केंद्र को डिजिटल भुगतान शुल्क ढांचे को अधिसूचित करने में लचीलापन देने के लिए कठोर वैधानिक प्रतिबंधों को बदलता है।
- **आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 269SU का विलगन):** कर कानूनों और डिजिटल भुगतान प्रणाली परिचालन नियमों के बीच परस्पर संदर्भ (cross-referencing) को समाप्त करता है।
- **धन विधेयक (अनुच्छेद 110):** कराधान समायोजन, सरकारी उधार और संचित निधि प्रावधानों से जुड़े वित्तीय कानून के रूप में पारित किया गया।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I प्रविष्टि 82):** कृषि आय के अलावा अन्य आय पर करों से संबंधित कानून बनाने का अनन्य संसदीय अधिकार।

निष्कर्ष (Conclusion)

कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 वित्तीय समावेशन को बाजार की स्थिरता के साथ संतुलित करता है। खुदरा यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए शून्य शुल्क को बनाए रखते हुए, भुगतान नेटवर्क के लिए प्रशासनिक लचीलापन सक्षम करने और जी-सेक (G-Secs) में अपतटीय पूंजी को कर राहत प्रदान करने से, यह कानून घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है और भारत की वैश्विक निवेश प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** संसदीय विधायी प्रक्रिया, धन विधेयक, शासन नीतियां और वैधानिक निकायों के कार्य।

- **जीएस PAPER III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI), एफपीआई (FPI) का अंतर्वाह, जी-सेक (G-Sec) ऋण बाजार का विस्तार और कराधान सुधार।

5. राज्य गीत के अनिवार्य गायन पर तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव (Tamil Nadu Assembly Resolution on Mandatory Rendering of State Song)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **विधानसभा प्रस्ताव:** तमिलनाडु विधानसभा ने शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में कार्यक्रमों से पहले 'तमिल थाई वाझथु' (Tamil Thai Vazhthu) गायन को अनिवार्य बनाने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
- **वरीयता प्रोटोकॉल (Precedence Protocol):** प्रस्ताव में यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक और संस्थागत कार्यक्रमों में राज्य गीत सबसे पहले गाया जाना चाहिए, जिससे एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल स्थापित होता है।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** 1891 में मनोन्मनीयम सुंदरनार द्वारा 'मनोन्मनीयम' नाटक के लिए रचित इस गीत को औपचारिक रूप से 2021 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया गया था।
- **सांस्कृतिक पहचान का दावा:** यह गीत को तमिल भाषाई विरासत, सभ्यतागत पहचान और क्षेत्रीय सांस्कृतिक संरक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित करता है।
- **वैधानिक अधिनियमन की मांग:** सदस्यों ने प्रस्ताव को बाध्यकारी कानूनी समर्थन और प्रवर्तनीयता प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून बनाने का आह्वान किया।
- **संवैधानिक अधिकारों के साथ संरेखण:** भारत के संघीय ढांचे के भीतर भाषाई अधिकारों और क्षेत्रीय विरासत की रक्षा करने वाली संवैधानिक गारंटियों पर आधारित है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **राज्य गीत ('तमिल थाई वाझथु'):** राज्य की पहचान, भाषाई गौरव और विरासत को व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित एक आधिकारिक क्षेत्रीय गीत।
- **विधानसभा प्रस्ताव (Assembly Resolution):** एक विधायी सदन द्वारा पारित एक औपचारिक घोषणा जो उसकी सामूहिक राय को दर्शाती है, जो वैधानिक कानून (statutory law) से भिन्न होती है।
- **भाषाई संघवाद (Linguistic Federalism):** एक ऐसा संघीय ढांचा जो एक एकीकृत राष्ट्र के भीतर विविध भाषाई पहचानों को पहचानता है, संरक्षित करता है और समायोजित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 29 (सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा):** नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है।

- **अनुच्छेद 350A (भाषाई सुरक्षा उपाय):** क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और शिक्षण को सुगम बनाने के लिए राज्य अधिकारियों को निर्देशित करता है।
- **अनुच्छेद 51A(a) (मौलिक कर्तव्य संदर्भ):** राष्ट्रीय संवैधानिक प्रतीकों (राष्ट्रगान) को राज्य स्तरीय गीतों से अलग करता है, जैसा कि *बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य* मामले में परिलक्षित हुआ था।
- **अनुच्छेद 162 (राज्य की कार्यपालिका शक्ति):** राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक करता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिससे प्रशासनिक आदेश जारी करना सक्षम होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव भाषाई संघवाद और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में प्रतीकात्मक नीति के महत्व को रेखांकित करता है। यद्यपि कार्यकारी और विधायी घोषणाएं क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करती हैं, राज्य के प्रतीकों को राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के साथ संतुलित करना संवैधानिक सद्भाव को बनाए रखता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I:** भारतीय संस्कृति, भाषाई विरासत, साहित्य और क्षेत्रीय पहचान।
- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान, केंद्र-राज्य संबंध, भाषाई अधिकार और अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका की शक्तियां।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र):** संवैधानिक नैतिकता, उप-राष्ट्रीय पहचान और सिविल सेवा तटस्थता।

6. **मेघालय** ADCs: **गारो हिल्स चुनावों में मताधिकार प्रतिबंध** (Meghalaya ADCs: Franchise Restrictions in Garo Hills Elections)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **चुनावी बहिष्करण (Electoral Exclusion):** गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) ने नियम 128 और 129 में संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे गैर-आदिवासियों को जिला परिषद चुनावों में मतदान करने या चुनाव लड़ने से रोक दिया गया।
- **पृथक मतदाता सूची:** सामान्य राज्य विधानसभा मतदाता सूचियों पर निर्भरता के स्थान पर छठी अनुसूची के GHADC चुनावों के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक समर्पित मतदाता सूची को शामिल किया गया है।
- **अनुसूचित जनजाति पात्रता जनादेश:** मताधिकार और उम्मीदवारी के अधिकारों को सख्ती से मेघालय में रहने वाले मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तक सीमित करता है।
- **अशांति की प्रतिक्रिया:** यह विधायी कार्रवाई हिंसक क्षेत्रीय विरोध प्रदर्शनों और मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा एक पूर्व कार्यकारी अधिसूचना को रद्द किए जाने के बाद आई है।
- **जनजातीय संरक्षण की मंशा:** पश्चिमी मेघालय में स्वदेशी राजनीतिक स्वायत्तता, प्रथागत भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक अखंडता को संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

- **न्यायिक जांच:** जनजातीय स्वायत्तता और मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन से संबंधित कानूनी चुनौतियों का मंच तैयार करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **स्वायत्त जिला परिषद (ADC):** विधायी, न्यायिक और कार्यपालक शक्तियों के साथ जनजातीय बहुल क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए छठी अनुसूची के तहत स्थापित एक स्थानीय प्रशासनिक निकाय।
- **मतदाता सूची (Electoral Roll):** एक निर्दिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर विशिष्ट चुनाव में वोट देने के लिए पात्र व्यक्तियों की एक आधिकारिक सूची।
- **छठी अनुसूची (Sixth Schedule):** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय स्वायत्तता, संस्कृति, भूमि अधिकारों और स्व-शासन की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **छठी अनुसूची (पैराग्राफ 2):** स्वायत्त जिला परिषदों को परिषद चुनावों के लिए गठन, मतदान योग्यताओं और उम्मीदवार की पात्रता को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार):** जनजातीय स्थिति के आधार पर मताधिकार प्रतिबंधों से संबंधित कानूनी सवाल उठाते हुए, मनमाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 15(1) एवं 15(4):** अनुसूचित जनजातियों की उन्नति और सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 244(2):** छठी अनुसूची के ढांचे के तहत निर्दिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को मान्य करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

GHADC चुनाव नियम संशोधन स्वदेशी अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं। यद्यपि इसका उद्देश्य छठी अनुसूची के तहत जनजातीय शासन को संरक्षित करना है, राजनीतिक भागीदारी को सीमित करना मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र के तहत संवैधानिक चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** छठी अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषदें, मौलिक अधिकार बनाम विशेष सुरक्षा उपाय, और केंद्र-राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता गतिशीलता।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा के खतरे, जातीय पहचान आंदोलन, और पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता।

7. **भारत में ईवी चार्जिंग अवसंरचना: कर्नाटक का नेतृत्व** (EV Charging Infrastructure in India: Karnataka's Leadership)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **राष्ट्रीय रैंकिंग:** कर्नाटक 6,805 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों (EVCS) के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है, जो महाराष्ट्र (6,985) से थोड़ा ही पीछे है और भारत के कुल 52,718 सार्वजनिक चार्जरों का लगभग 13% है।
- **सक्रिय राज्य नीति:** शुरुआती नीतिगत हस्तक्षेपों, विशेष रूप से कर्नाटक की अग्रणी 2017 की इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति ने निजी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आक्रामक प्रसार को संचालित किया।
- **अंतर-राज्यीय असमानताएं:** महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता मौजूद है; प्रमुख औद्योगिक राज्य आगे हैं, जबकि कई पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से भी कम परिचालन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं।
- **परिचालन गुणवत्ता की ओर बदलाव:** परिवहन विशेषज्ञ केवल स्थापना संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्रिड इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार, शुल्क को मानकीकृत करने और वास्तविक समय में चार्जर की उपलब्धता का डेटा प्रदान करने पर जोर देते हैं।
- **वर्गीकृत डेटा का अभाव:** भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जाने वाला केंद्रीकृत डेटा वर्तमान में फास्ट-चार्जिंग (DC) और स्लो-चार्जिंग (AC) स्टेशन क्षमता के बीच अंतर नहीं करता है।
- **राष्ट्रीय प्रोत्साहन:** तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के माध्यम से निष्पादित FAME-II और PM-eDrive जैसी केंद्रीय पहलों द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण को समर्थन मिलना जारी है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS):** बुनियादी ढांचा जो प्लग-इन इलेक्ट्रिक वाहनों (दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया और बसों सहित) को रीचार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability):** नेटवर्क प्रदाता या चार्जर ब्रांड की परवाह किए बिना किसी भी चार्जिंग स्टेशन का निर्बाध रूप से उपयोग करने की विभिन्न ईवी मॉडलों की तकनीकी क्षमता।
- **डी-लाइसेंस्ड गतिविधि (De-licensed Activity):** एक आर्थिक या जनउपयोगी गतिविधि (जैसे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना) जिसके लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के तहत औपचारिक बिजली वितरण लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **विद्युत अधिनियम, 2003 (धारा 12):** बिजली वितरण को नियंत्रित करता है; बिजली मंत्रालय के स्पष्टीकरण के तहत ईवी चार्जिंग को "बिजली की पुनर्विक्री" के बजाय एक "सेवा" माना जाता है, जिससे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया गया है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II प्रविष्टि 53 और सूची I प्रविष्टि 31):** बिजली की खपत या बिक्री पर कर (राज्य सूची) और डाक/तार/प्रसारण/संचार बुनियादी ढांचा प्रोटोकॉल (संघ सूची) को कवर करती है।
- **FAME-II और PM-eDrive योजनाएं:** भारी उद्योग मंत्रालय के तहत वैधानिक और बजटीय योजनाएं जो देश भर में मांग प्रोत्साहन और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना निर्माण की सुविधा प्रदान करती हैं।

- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) दिशानिर्देश:** केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रीय तकनीकी मानकों, घनत्व जनादेश (जैसे राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किमी में एक स्टेशन), और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

कर्नाटक की सफलता सार्वजनिक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में शुरुआती नीतिगत हस्तक्षेप के प्रभाव को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भविष्य का ध्यान केवल मात्रात्मक निर्माण से हटाकर तकनीकी मानकीकरण, शुल्क के युक्तीकरण और अग्रणी औद्योगिक राज्यों तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों के बीच गंभीर बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने पर होना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** शासन नीतियां, केंद्र-राज्य बुनियादी ढांचा पहल, अंतर-राज्यीय असमानता के मुद्दे, और नियामक निकायों (बिजली मंत्रालय, BEE) की भूमिका।
- **जीएस पेपर III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा और परिवहन), भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण स्थिरता (जलवायु लक्ष्य, शुद्ध-शून्य लक्ष्य), और सार्वजनिक सेवाओं में प्रौद्योगिकी एकीकरण।

8. आधुनिक भारत में अंग्रेजी की स्थिति: औपनिवेशिक माध्यम से भारतीय भाषा तक

(Status of English in Modern India: From Colonial Medium to Indian Language)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **न्यायिक और सामाजिक बहस:** सर्वोच्च न्यायालय की एक हालिया टिप्पणी ने इस चर्चा को फिर से शुरू कर दिया कि क्या अंग्रेजी, अपनी गैर-देशी उत्पत्ति के बावजूद, एक अभिन्न भारतीय भाषा के रूप में अर्हता प्राप्त करती है।
- **ऐतिहासिक आत्मसातीकरण (Historical Appropriation):** राजा राममोहन राय, दादाभाई नौरोजी और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों द्वारा रणनीतिक रूप से उपयोग की जाने वाली अंग्रेजी, औपनिवेशिक प्रशासन के एक उपकरण से भारतीय राष्ट्रवाद और सुधार के साधन में विकसित हुई।
- **संवैधानिक समझौता:** मुंशी-आयंगर फॉर्मूले ने आधिकारिक संघ उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को बनाए रखा, जिसने प्रशासनिक, विधायी और उच्च न्यायिक कार्यों में इसकी भूमिका को सुदृढ़ किया।
- **जनसांख्यिकी और महत्वाकांक्षी पहुंच:** जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 12.9 करोड़ (129 मिलियन) से अधिक भारतीय अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जो भारत को विश्व स्तर पर सबसे बड़ी अंग्रेजी भाषी आबादी में से एक बनाता है और भाषा को सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के चालक के रूप में स्थापित करता है।
- **सांस्कृतिक और साहित्यिक देशीकरण (Indigenization):** साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं 'इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश' को मान्यता देती हैं, यह स्वीकार करते हुए कि भाषा को विशिष्ट राष्ट्रीय मुहावरों, ध्वन्यात्मकता और साहित्यिक संवेदनाओं के साथ कैसे अपना लिया गया है।

SIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

- **पूरक बहुभाषावाद (Complementary Multilingualism):** अंग्रेजी देशी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संघर्ष में नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक पुल भाषा के रूप में कार्य करती है जो अखिल भारतीय एकीकरण और वैश्विक जुड़ाव को सुगम बनाती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **मुंशी-आयंगर फॉर्मूला (Munshi-Ayyangar Formula):** संवैधानिक समझौता ढांचा जिसने देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया, जबकि आधिकारिक संघीय संचार के लिए अंग्रेजी को बनाए रखा।
- **भाषा का देशीकरण (Indigenization of Language):** वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक विदेशी भाषा अपने मेजबान राष्ट्र के स्थानीय मुहावरों, शब्दावली, ध्वन्यात्मक पैटर्न और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को अपनाती है।
- **कार्यात्मक बहुभाषावाद (Functional Multilingualism):** विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में कई भाषाओं का उपयोग करने का सामाजिक अभ्यास (जैसे घर पर मूल भाषा, पेशेवर/वैश्विक संदर्भों के लिए अंग्रेजी)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 343:** देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, जबकि आधिकारिक प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है।
- **राजभाषा अधिनियम, 1963:** संघ के आधिकारिक लेनदेन के लिए और हिंदी के साथ-साथ अंतर-राज्यीय संचार के लिए अनिश्चित काल तक अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 348:** यह अनिवार्य करता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां, साथ ही विधेयकों और अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में आयोजित किए जाएंगे।
- **आठवीं अनुसूची संदर्भ:** यद्यपि अंग्रेजी को आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, यह नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में एक आधिकारिक भाषा बनी हुई है और इसे वैधानिक संघीय मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में अंग्रेजी ने दो शताब्दियों के राजनीतिक, साहित्यिक और परिचालन अपनाने के माध्यम से अपनी औपनिवेशिक उत्पत्ति को पीछे छोड़ दिया है। भाषा नीति को केवल एक द्विआधारी (binary) दृष्टिकोण से देखने से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता के कमजोर होने का जोखिम है; भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए एक मजबूत बहुभाषी ढांचे के भीतर स्वदेशी क्षेत्रीय भाषाओं और देशीकृत अंग्रेजी दोनों को अपनाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I:** समाज, भारत की विविधता, भाषाई पहचान और सामाजिक सशक्तिकरण।
- **जीएस पेपर II:** आधिकारिक भाषाओं (अनुच्छेद 343-351), संघवाद, न्यायिक भाषा जनादेश और शैक्षिक शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
- **जीएस PAPER IV (नीतिशास्त्र):** शासन में समावेशिता, प्रशासनिक प्रणालियों तक पहुंच, और आधुनिक सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत का संतुलन।

9. आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता और उपयोगिता

(Relevance & Utility of International Law in Modern Global Order)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **संघर्ष के बीच लचीलापन (Resilience Amid Conflict):** यूक्रेन और गाजा में संघर्षों से उत्पन्न प्रणालीगत तनाव के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून दबाव में है, लेकिन अंततः इसी की जीत होगी।
- **औचित्य का विरोधाभास (Paradox of Justification):** आक्रामक राज्य लगातार अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का हवाला देते हैं, जो साबित करता है कि कानूनी मानदंड अपना मानक अधिकार बनाए रखते हैं।
- **शांतिपूर्ण शासन की सफलता (Quiet Governance Success):** सामान्य वैश्विक दिनचर्या—जैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, समुद्री पारगमन, डाक संचार, पासपोर्ट की वैधता और कांसुलर सेवाएं—सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुपालन पर निर्भर करती हैं।
- **बहुपक्षीय प्रगति (Multilateral Progress):** 'हाई सीज ट्रीटी' (High Seas Treaty) और 'साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' जैसी हालिया कानूनी व्यवस्थाएं उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों से निपटने की निरंतर संधि-निर्माण क्षमता को दर्शाती हैं।
- **भारत और वैश्विक दक्षिण प्रतिमान (India and Global South Paradigm):** सिंधु जल संधि का भारत द्वारा अनुपालन यह दर्शाता है कि कैसे संधि ढांचा राजनीतिक मतभेदों के दौरान भी राजनयिक जुड़ाव को बनाए रखता है, जो विकासशील देशों को शक्ति की विषमता से बचाता है।
- **सुधार के उत्प्रेरक के रूप में संकट (Crisis as Catalyst for Reform):** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पंगुता सहित संरचनात्मक सीमाएं, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को छोड़ने के बजाय संस्थागत अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता पर बल देती हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL):** मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने, गैर-लड़ाकों की रक्षा करने और युद्ध के तरीकों को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का एक समूह।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Rules-Based International Order):** राज्य के आचरण को नियंत्रित करने और वैश्विक शासन को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों, प्रथागत कानूनों और बहुपक्षीय निकायों का एक ढांचा।
- **संधि व्यवस्था (Treaty Regime):** अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभु राज्यों के बीच स्थापित नियमों, प्रोटोकॉल और सहकारी व्यवस्थाओं की एक बाध्यकारी प्रणाली।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य संगठित लोगों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास करेगा।

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 2(4) और अनुच्छेद 51):** क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है, जबकि व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को सुरक्षित रखता है।
- **संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन (1969):** अंतर्राष्ट्रीय संधि निर्माण, व्याख्या, प्रदर्शन और अनुपालन (*pacta sunt servanda*) को नियंत्रित करने वाले नियमों को संहिताबद्ध करता है।
- **भारत का संविधान (अनुच्छेद 253):** अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि प्रवर्तन की कमी और भू-राजनीतिक गतिरोध अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं को उजागर करते हैं, फिर भी इसका मौलिक ढांचा अपरिहार्य बना हुआ है। जैसा कि द्विपक्षीय संधियों के भारत के रणनीतिक पालन से स्पष्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर और विकासशील देशों को एकतरफा शक्ति के खिलाफ प्रभाव प्रदान करता है, जो वैश्विक स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक अपूरणीय साधन के रूप में कार्य करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय निकाय (UN, UNSC), और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 253)।
- **जीएस पेपर IV / निबंध:** अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र, नियम-आधारित विश्व व्यवस्था, वैश्विक शासन की चुनौतियां, और वैश्विक दक्षिण (Global South) के हितों का समर्थन करने में भारत की भूमिका।

10. भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 के डिराक मेडल से सम्मानित किया गया

(Physicist Deepak Dhar Awarded 2026 Dirac Medal)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **प्रतिष्ठित सम्मान:** प्रसिद्ध भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रो. दीपक धर को 'अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स' (ICTP), इटली द्वारा प्रदान किए जाने वाले 2026 के 'डिराक मेडल' (Dirac Medal) के सह-प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया।
- **दुर्लभ दोहरी उपलब्धि:** 2022 में बोल्टज़मैन मेडल (इसे जीतने वाले पहले भारतीय) जीतने के बाद, प्रो. धर भौतिकी में इन दोनों प्रतिष्ठित सम्मानों को धारण करने वाले दुनिया के केवल दस शीर्ष वैज्ञानिकों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं।
- **मुख्य अनुसंधान योगदान:** सांख्यिकीय भौतिकी (statistical physics) में उनके मौलिक कार्य के लिए यह मान्यता दी गई है, विशेष रूप से यह समझाने के लिए कि कैसे सरल कणों की परस्पर क्रियाएं विशाल भौतिक प्रणालियों में जटिल, उभरते हुए व्यवहारों (emergent behaviors) को जन्म देती हैं।

- **अंतर-विषयक अनुप्रयोग:** प्रो. धर द्वारा विकसित सैद्धांतिक मॉडल विभिन्न गैर-रेखीय घटनाओं (non-linear phenomena) में व्यावहारिक अनुप्रयोग पाते हैं, जिनमें स्व-संगठित क्रांतिकता (self-organized criticality), भूकंप, यातायात प्रवाह गतिशीलता, और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।
- **अकादमिक पृष्ठभूमि:** इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर और केलटेक (Caltech - जहां उन्होंने रिचर्ड फेनमैन के शिक्षण सहायक के रूप में कार्य किया) के पूर्व छात्र, वह वर्तमान में ICTS, बेंगलुरु में INSA प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।
- **प्राथमिक विज्ञान पर जोर:** प्रो. धर ने भारत में मौलिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राथमिक स्कूली विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **डिराक मेडल (Dirac Medal):** सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण प्रगति को सम्मानित करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अग्रदूत पॉल डिराक के नाम पर ICTP द्वारा 1985 में स्थापित एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
- **सांख्यिकीय भौतिकी (Statistical Physics):** भौतिकी की एक शाखा जो बड़ी संख्या में सूक्ष्म घटकों से बनी जटिल भौतिक प्रणालियों के स्थूल (macroscopic) व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संभावना सिद्धांत (probability theory) का उपयोग करती है।
- **उभरता हुआ व्यवहार (Emergent Behavior):** एक ऐसी घटना जहां एक जटिल इकाई या प्रणाली ऐसे गुणों और पैटर्न को प्रदर्शित करती है जो उसके व्यक्तिगत भागों में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 51A(h) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने का आदेश देता है।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023:** शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यम के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए स्थापित वैधानिक ढांचा।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP):** स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और शीर्ष वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया राष्ट्रीय नीति रोडमैप।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रो. दीपक धर को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सैद्धांतिक बुनियादी विज्ञान में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती है। भविष्य की सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए मौलिक अनुसंधान अवसंरचना में निरंतर सार्वजनिक निवेश, शुरुआती चरण की वैज्ञानिक पूछताछ को प्रोत्साहित करने, और देश भर में प्राथमिक विज्ञान शिक्षा के अंतर को पाटने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I:** प्रख्यात भारतीय हस्तियों का परिचय और वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उनका योगदान।
- **जीएस पेपर II:** उच्च शिक्षा और आर एंड डी (R&D) में वैधानिक ढांचे (ANRF अधिनियम), सरकारी नीतियां और संस्थागत तंत्र।

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, और प्रौद्योगिकी का देशीकरण।

11. भारत में हथकरघा क्षेत्र: आर्थिक विरासत, चुनौतियां और रणनीतिक भविष्य

(Handloom Sector in India: Economic Legacy, Challenges, and Strategic Future)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **स्मरणीय और ऐतिहासिक महत्व:** राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक के रूप में हथकरघा की भूमिका को उजागर करता है।
- **जीविका और समावेशी विकास:** यह क्षेत्र 31 लाख परिवारों के 35 लाख से अधिक बुनकरों को गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है, जिसमें कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है, जो राष्ट्रीय कपड़े का 15% उत्पादन करती है।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** घटते वित्तीय लाभ, खंडित आपूर्ति श्रृंखला, बाजार से कटाव, और अंतर-पीढ़ीगत कौशल हस्तांतरण की कमी के कारण सैकड़ों कम प्रसिद्ध क्षेत्रीय बुनाई शैलियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
- **लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, लुप्तप्राय बुनाई के यूनेस्को-समर्थित दस्तावेजीकरण, और वैश्विक जीआई (GI) प्रचार जैसी पहलों ने तंगालिया (गुजरात) और सिद्दीपेट गोल्लाभामा (तेलंगाना) जैसे क्लस्टर को पुनर्जीवित किया है।
- **रणनीतिक रीब्रांडिंग:** केवल संरक्षण से नीतिगत ध्यान को हटाकर जेन-ज़ी (Gen Z), वैश्विक बाजारों और पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले आकांक्षी, टिकाऊ और प्रीमियम लक्जरी ब्रांड बनाने की ओर ले जाना।
- **आर्थिक मापन और सॉफ्ट पावर:** व्यापक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) डेटा मैपिंग, मानक गुणवत्ता प्रवर्तन, सांस्कृतिक अनुचित उपयोग के खिलाफ जीआई सुरक्षा, और 'विकसित भारत' के तहत एक रणनीतिक सॉफ्ट-पावर संपत्ति के रूप में इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **हथकरघा (Handloom):** धागे का उपयोग करके कपड़ा बुनने के लिए बिजली के उपयोग के बिना, हाथ से चलाया जाने वाला कोई भी करघा।
- **भौगोलिक संकेतक (GI):** एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले और उस उत्पत्ति के कारण गुणों या प्रतिष्ठा वाले उत्पादों को दी जाने वाली कानूनी मान्यता।
- **स्वदेशी (Swadeshi):** घरेलू उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की वकालत करने वाला और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने वाला एक आर्थिक दर्शन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985:** व्यावसायिक पावरलूम के अतिक्रमण को रोकते हुए, विशेष रूप से हथकरघा निर्माण के लिए विशिष्ट वस्त्र वस्तुओं को आरक्षित करके हथकरघा बुनकरों की रक्षा करता है।
- **माल का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** प्रामाणिक क्षेत्रीय हथकरघा उत्पादों (जैसे संबलपुरी, कांजीवरम) को कानूनी सुरक्षा और विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 43 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का आदेश देता है।
- **अनुच्छेद 39(b) और (c):** भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और कपड़ा निर्माण में धन के संकेंद्रण को रोकने की दिशा में राज्य की नीति को निर्देशित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पारिस्थितिक स्थिरता और सांस्कृतिक कूटनीति को जोड़ने वाली एक रणनीतिक आर्थिक संपत्ति है। इस क्षेत्र को कल्याण-आधारित संरक्षण से उच्च-मूल्य, आकांक्षी लक्जरी उद्योग में परिवर्तित करना सक्रिय करघों, लाभदायक आजीविका और 'विकसित भारत' की ओर स्थायी आर्थिक योगदान सुनिश्चित करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I:** भारतीय इतिहास (स्वदेशी आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम), भारतीय समाज, और कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
- **जीएस पेपर II:** सरकारी नीतियां, ग्रामीण संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 43)।
- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, रोजगार सृजन, एमएसएमई (MSME) क्षेत्र में सुधार, बौद्धिक संपदा अधिकार (GI टैग), और टिकाऊ निर्माण।

12. एआई-जनरेटेड उपग्रह इमेजरी पर सुरक्षा चिंताएं (Safety Concerns Over AI-Generated Satellite Imagery)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **सुविधा को तुरंत वापस लेना:** सुरक्षा और दुरुपयोग की व्यापक चिंताओं के कारण गूगल ने व्यापक 'गूगल अर्थ' में 'नैनो बनाना' तकनीक द्वारा संचालित अपनी नई लॉन्च की गई एआई छवि-निर्माण सुविधा को 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया।
- **सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करना:** उपयोगकर्ताओं ने आतंकवादी हमलों, मानवीय संकटों, औद्योगिक दुर्घटनाओं और संघर्ष के नुकसान को दर्शाने वाली यथार्थवादी उपग्रह तस्वीरें (deepfakes) उत्पन्न करने के लिए एंटरप्राइज-स्तरीय सुरक्षा उपायों को आसानी से दरकिनार कर दिया।

- **घोटाले और धोखाधड़ी की संवेदनशीलता:** हेरफेर की गई उपग्रह छवियों का अनियंत्रित निर्माण रियल एस्टेट घोटालों, धोखाधड़ी से भूमि सीमा संशोधनों और भ्रामक संपत्ति विपणन को सक्षम बनाता है।
- **भू-राजनीतिक गलत सूचना के जोखिम:** सिंथेटिक उपग्रह इमेजरी सक्रिय भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान मनगढ़ंत साक्ष्य पेश करके महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती है, जिससे संभावित रूप से राजनयिक तनाव या सार्वजनिक घबराहट बढ़ सकती है।
- **वाटरमार्किंग की सीमाएं:** एआई वॉटरमार्क और पृथक उपयोगकर्ता स्थानों के बावजूद, साधारण क्रॉपिंग या संदर्भ हेरफेर उत्पन्न इमेजरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रामाणिक दृश्य साक्ष्य के रूप में तेजी से फैलने की अनुमति देता है।
- **आधारभूत उपग्रह डेटा की अनिश्चितता:** मौजूदा उपग्रह मैपिंग में पहले से ही कवरेज अंतराल और सुरक्षा-प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल हैं; सिंथेटिक जनरेशन परतों को एकीकृत करने से जनता में भ्रम और साक्ष्य की अविश्वसनीयता बढ़ती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सैटेलाइट डीपफेक (Satellite Deepfakes):** पृथ्वी की सतह की इमेजरी पर भौतिक विशेषताओं को कृत्रिम रूप से बदलने, जोड़ने या अनुकरण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उत्पन्न या परिवर्तित की गई सिंथेटिक विजुअल मीडिया।
- **वाटरमार्किंग (Watermarking):** एआई-जनरेटेड उत्पत्ति को नामित करने और भ्रामक उपयोग को रोकने के लिए सिंथेटिक मीडिया में सूक्ष्म पहचानकर्ताओं या मेटाडेटा का डिजिटल एम्बेडिंग।
- **जीओस्पेशियल इंटेलिजेंस (GEOINT):** भौतिक विशेषताओं और भौगोलिक रूप से संदर्भित गतिविधियों का वर्णन, मूल्यांकन और दृश्य रूप से वर्णन करने के लिए इमेजरी और भू-स्थानिक जानकारी का दोहन और विश्लेषण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 66D और 69A):** कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके पहचान छिपाकर धोखाधड़ी या जालसाजी करने के लिए दंडित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करने वाली सामग्री को ब्लॉक करने के लिए सरकार को सशक्त बनाता है।
- **आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** यह अनिवार्य करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म 36 घंटे के भीतर भ्रामक एआई-जनरेटेड सामग्री का पता लगाने, रोकने और हटाने के लिए उचित सावधानी बरतें।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 336 और 353):** जालसाजी, झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने और सार्वजनिक उपद्रव या भय पैदा करने के इरादे से भ्रामक बयानों को प्रसारित करने पर रोक लगाती है।
- **अनुच्छेद 19(2) (युक्तियुक्त निर्बंधन):** डिजिटल दुष्प्रचार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य के प्रतिबंधों को सही ठहराता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

गूगल अर्थ की एआई सुविधा को तेजी से वापस लिया जाना विश्वसनीय संदर्भ प्रणालियों पर तैनात किए जाने वाले वाणिज्यिक जनरेटिव टूल्स की परिचालन संवेदनशीलता को उजागर करता है। सिंथेटिक भू-स्थानिक हेरफेर को रोकने

के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास के साथ तकनीकी नवाचार को संतुलित करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म सुरक्षा उपायों, अनिवार्य डिजिटल स्रोत मानकों और लागू करने योग्य कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** नियामक शासन, प्रौद्योगिकी में सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप, और डिजिटल अभिव्यक्ति पर संवैधानिक सीमाएं (अनुच्छेद 19)।
- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकास, साइबर सुरक्षा खतरे, डीपफेक, आंतरिक सुरक्षा के निहितार्थ, और आपदा प्रबंधन सत्यापन चुनौतियां।

13. **भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी**: UNOG **जेनेवा को मोर दान में देना** (India's Soft Diplomacy: Donation of Peacocks to UNOG Geneva)

मुख्य विशेषताएं और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **राजनयिक पहल:** भारत ने जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOG) को पांच युवा भारतीय मोर (चार नीले मोर और एक दुर्लभ सफेद पंखों वाला नर मोर) दान किए।
- **औपचारिक सुपुर्दगी:** जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, अरिंदम बागची ने एरीयाना पार्क में UNOG की महानिदेशक तात्याना वालोवाया को पक्षी सौंपे।
- **प्रतीकात्मकता:** नीला और सफेद संयोजन संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रंगों को दर्शाता है, जो लालित्य, लचीलापन, जैव विविधता संरक्षण और बहुपक्षवाद का प्रतीक है।
- **ऐतिहासिक मिसाल:** यह कदम 1981 में स्थापित एक ऐतिहासिक मिसाल को पुनर्जीवित करता है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों का एक प्रजनन जोड़ा UNOG को उपहार में दिया था।
- **आवास प्रबंधन:** मोरों की देखभाल जेनेवा बायोपार्क चिड़ियाघर द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के साथ मिलकर की जाएगी। एरीयाना पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमने से पहले वे तीन महीने के लिए एक संलग्न बाड़े (enclosed habitat) में रहेंगे।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **भारतीय मोर (*Pavo cristatus*):** भारत का राष्ट्रीय पक्षी (1963 में घोषित), जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, जो अपने जीवंत पंखों और गहरे सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है।
- **ल्यूसिज़्म (Leucism):** एक आनुवंशिक स्थिति जो जानवरों में कम रंजकता (pigmentation) का कारण बनती है, जिससे आंखों के रंग को प्रभावित किए बिना सफेद पंख या त्वचा बनती है (यह एल्बनिज़्म से अलग है)। इस दान में दिया गया सफेद मोर ल्यूसिस्टिक (leucistic) है।
- **सॉफ्ट पावर कूटनीति (Soft Power Diplomacy):** अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाने, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और बिना किसी दबाव के प्रभाव डालने के लिए राष्ट्र द्वारा सांस्कृतिक, पर्यावरणीय या प्रतीकात्मक परिसंपत्तियों का उपयोग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** भारतीय मोर को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे वैधानिक प्राधिकरण के बिना शिकार, व्यापार और कैद के खिलाफ उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **संवैधानिक निर्देश:**
  - **अनुच्छेद 48A (DPSP):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** भारत के प्रत्येक नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य सौंपता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:**
  - **साइट्स (CITES):** यह सुनिश्चित करता है कि प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही और कानूनी हस्तांतरण वैश्विक संरक्षण मानदंडों का पालन करते हैं।
  - **जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD):** संरक्षण, जैविक विविधता के सतत उपयोग और पर्यावरणीय प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

UNOG को भारत का मोर दान विशिष्ट रूप से पारिस्थितिक विरासत को सॉफ्ट-पावर कूटनीति के साथ जोड़ता है। अपने राष्ट्रीय पक्षी के साथ ऐतिहासिक एरीयाना पार्क को आबाद करके, भारत वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन, बहुपक्षीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर I (संस्कृति):** सांस्कृतिक प्रतीकशास्त्र और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक।
- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारतीय सॉफ्ट पावर कूटनीति, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय जुड़ाव, और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर प्रतिनिधित्व।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची स्थिति, और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ढांचा।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver